सीता राम झुनझुनावाला

बनाम

बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन लि. एवं अन्य

25 नवंबर, 1964

[ए. के. सरकार, एन. राजगोपाला अयंगर और जे. आर. मुधोलकर, जे. जे.]

बैंकिंग अभ्यास- "चेक भुगतान के लिए उपयुक्त के रूप में प्रमाणित गुंजाइश।"

बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन के सदस्यों, प्रतिवादी, को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कंट्रोल (बीओएम अधिनियम 64, 1947) के तहत एसोसिएशन द्वारा बनाए गए उपनियमों के अधीन बुलियन में फॉरवर्ड लेनदेन करने की अनुमति दी गई थी। अपीलकर्ता जो एसोसिएशन का सदस्य था और सराफा व्यापारी के रूप में व्यवसाय कर रहा था, निपटान दिवस पर चाँदी की निविदा देने के अपने दायित्व को पूरा करने में चूक गया, जिसका वह वायदा विक्रेता था और इसलिए एसोसिएशन, इसके तहत कार्य करने का दावा कर रही थी। विधि के अधीन अपीलार्थी की जोखिम पर चांदी की एक मात्रा खरीदी और उससे कीमत में अंतर का दावा किया। अपीलकर्ता ने राशि का भुगतान किया और उसे डिफॉल्टर माने जाने की वैधता को चुनौती देते हुए इसकी वापसी के लिए मुकदमा दायर किया। हाईकोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील में यह तर्क दिया गया कि एसोसिएशन को खरीदारी नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि खरीदारों ने एसोसिएशन को भुगतान करने में उपनियमों के तहत अपने दायित्वों की शर्तों को पूरा नहीं किया था। तर्क यह थे कि (i) कुछ खरीदार जिन्होंने एसोसिएशन के क्लियरिंग हाउस में चेक क्षरा भुगतान किया था जो क्लियरिंग हाउसमें उनके खाते पर आहरित थे। उन्होंने ई-चेक को भुगतान के लिए अच्छा प्रमाणित किया था, जैसा कि 137-बी में आवश्यक था और (ii) एक भुगतान खरीदार द्वारा चैक द्वारा किया गया था चेक

क्लीयरिंग हाउस पर नहीं बल्कि किसी शहर में क्लीयरिंग हाउस शाखा पर काटा गया जो उप-कानून के अनुसार भुगतान के लिए उपयुक्त प्रमाणित नहीं था।

आयोजित: (i) जहां भुगतान क्लियरिंग हाउस के खाते पर आहरित चैक द्वारा किया गया था और उस चेक द्वारा दर्शायी गई राशि को एसोसिएशन के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था, यह वस्तुतः नकद भुगतान है, यद्यपि चेक द्वारा भुगतान.. चूंकि भुगतान नकद में होता है यह उपनियम द्वारा मान्यता प्राप्त भुगतान के तरीकों में से एक है जो वैध भुगतान की आवश्यकता को पूरा करता है। [255 ईएफ; 262 जीएच]

आर्सेन ए. लैरोके बनाम ह्यसिंथिया ब्यूकेमिन, (1897) ए.सी 358 संदर्भित किया।

(ii) जहां क्लियरिंग हाउस ने चेक स्वीकार कर लिया था और उस शाखा से यह सुनिश्चित करने के बाद कि चैक जारी करने वाले के पास चैक पूरा करने के लिए उस शाखा में पर्याप्त धनराशि थी, चैक को एसोसिएशन में जमा कर दिया था चेक को भुगतान के लिए अच्छा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे चेक के संबंध में स्थिति वही होती है जब चेक उसी शाखा पर आहरित किया जाता है, क्योंकि उप कानून में संदर्भित बैंकर का प्रमाण-पत्र उससे भिन्न बैंक का प्रमाण पत्र होता है जिसका चैक भुगतान किया जा रहा है। किसी भी घटना में, जब समाशोधन हाउस के कर्मचारियों ने शाखा से यह सुनिश्चित किया कि चैक उस शाखा में ग्राहक के क्रेडिट के लिए पर्याप्त धनराशि मौजूद थी जिस पर यह प्रमाणित किया गया था, तो यह प्रमाणित चैक की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उपविधि के अंतर्गत भुगतान के लिए अच्छा है। [260 बी; 262 एसी; 263 जीएच]

न्यायालय का निर्णय अय्यंगार, जे. द्वारा सुनाया गया। यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड के उप-कानून 137-बी के उचित निर्माण के संबंध में एक बहुत ही संक्षिप्त बिंदु पर विचार के लिए उठाती है, जो इसके बाद होगी 'एसोसिएशन' के रूप में संदर्भित किया जाएगा और विशेष रूप से क्या इस मामले में स्थापित तथ्यों पर उक्त उप-कानून की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है।

अपीलकर्ता प्रथम प्रतिवादी-एसोसिएशन का सदस्य है और एक सराफा व्यापारी के रूप में व्यवसाय करता है। 14 मार्च, 1949 की एक अधिसूचना द्वारा, बंबई सरकार ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। बॉम्बे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कंट्रोल एक्ट, 1947 (1947 का बॉम्बे एक्ट LXIV) के 6 को एसोसिएशन द्वारा बनाए गए उपनियमों द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत एसोसिएशन के सदस्यों को उक्त उपनियमों के अधीन सराफा में आगे के सौदे करने की अनुमति दी गई थी। अपील का संबंध एसोसिएशन द्वारा अपने उपनियमों के तहत की गई खरीद की नियमितता से है, अपीलकर्ता के जोखिम पर चांदी की मात्रा, इस आधार पर कि उसने विक्रेता के रूप में अपने अनुबंध को पूरा करने में चूक की थी। 03 फरवरी, 1953 जो एक समाधान दिवस था। एसोसिएशन ने अपीलकर्ता को डिफॉल्टर मानते हुए यह खरीदारी की और उससे अंतर राशि का दावा किया जो कि रु. 1,37,880-12-0. विरोध के तहत 5 फरवरी को मांगे जाने पर अपीलकर्ता ने इस राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन अगले दिन उसने मुकदमा दायर किया, जिसमें से एसोसिएशन और उसके निदेशकों के खिलाफ इस आधार पर धन वापसी के लिए वर्तमान अपील उत्पन्न हुई कि एसोसिएशन द्वारा उसके जोखिम पर खरीदारी की गई थी। उपनियमों के विपरीत होने के कारण अमान्य था और इसलिए, उस पर बाध्यकारी नहीं था। अपीलकर्ता ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि उसने सर्राफा को निविदा देने के अपने दायित्व को पूरा करने में चूक की, जिसका वह निपटान दिवस पर वायदा विक्रेता था क्योंकि वह प्रासंगिक उप-कानूनों के तहत ऐसा

करने के लिए बाध्य था, लेकिन जिस बिंदु पर उसने खरीद पर हमला किया वह यह था कोई भी खरीदारी तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि उस निपटान के लिए अग्रिम खरीददारों ने उपनियमों के तहत अपने दायित्वों की शर्तों को पूरा नहीं किया हो और चूंकि वे ऐसा करने में विफल रहे, इसलिए एसोसिएशन को उनकी ओर से और उनके लाभ के लिए खरीदारी करने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसे चूककर्ता क्रेता।

मुक़दमे की सुनवाई बॉम्बे उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में कोयाजी जे. के समक्ष की गई थी। विद्वान न्यायाधीश ने निष्कर्ष दर्ज किया कि खरीददारों की ओर से कोई चूक नहीं हुई है और इसलिए, उन्होंने मुकदमा खारिज कर दिया। अपीलकर्ता द्वारा डिवीजन बेंच में की गई अपील भी विफल रही और यह उच्च न्यायालय के इस निर्णय की सत्यता है जिसे इस अपील में चुनौती दी गई है।

हालाँकि सबूत इस बात के सूक्ष्म विवरण में थे कि वैदा दिवस - 03 फरवरी, 1953 को क्या हुआ था और विशेष रूप से क्या वैदा दिवस पर खरीदार के रूप में पहचाने जाने वाले कई दलों ने क्लीयरिंग हाउस में अपने चेक का भुगतान किया था या नहीं किया था। 03 फरवरी 1953 को एसोसिएशन, जैसा कि वे उप-कानूनों के तहत करने के लिए बाध्य थे, हमारे लिए इस मामले में जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि दोनों न्यायालयों के तथ्य का एक समवर्ती निष्कर्ष है कि प्रत्येक की जाँच कई खरीददारों को 03 फरवरी, 1953 को क्लियरिंग हाउस में भुगतान किया गया था, हालांकि अब सबूतों से यह स्पष्ट है कि 03 फरवरी, 1953 को हुए इनमें से कुछ लेनदेन के संबंध में प्रविष्टियाँ प्राप्तकर्ता बैंक या क्लियरिंग द्वारा की गई थीं। सिर्फ 04 तारीख को सदन. यह इस निष्कर्ष के आधार पर है जिसे हमारे सामने चुनौती नहीं दी जा सकती थी और हम इस अपील में हमारे सामने रखे गए बिंदुओं से निपटने का प्रस्ताव करते हैं।

एक अन्य मामला भी है जिसका उल्लेख दलीलों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के निर्णयों में भी किया गया है, जिसे भी हम अलग रख रहे हैं। यह अपीलकर्ता की याचिका से संबंधित है कि एसोसिएशन के निदेशक ने 03 फरवरी को खरीदारों द्वारा उप-कानूनों के कुछ उल्लंघनों की अनुमति देने में दुर्भावनापूर्ण काम किया था, जो अन्यथा डिफ़ॉल्ट होते और उनके साथ व्यवहार तभी किया जाता जब उन्होंने अपने दायित्वों को पूरा किया होता। सुझाव यह था कि निदेशक मंडल के कुछ सदस्यों को, उनकी व्यक्तिगत क्षमता में, उक्त निपटान में क्रेता के रूप में दर्शाया गया था और यह उनका व्यक्तिगत हित था जिसके कारण उन्होंने विक्रेताओं के विरुद्ध क्रेताओं के समूह का पक्ष लिया। इस वैदा पर इस याचिका के समर्थन में साक्ष्य में कुछ भी नहीं था और कोयाजी, जे. ने इसे अस्वीकार कर दिया था, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इसे डिवीजन बेंच के समक्ष दबाया गया था। अपीलकर्ता के लिए श्री पुरूषोत्तम-विद्वान वकील ने इस मामले पर दोबारा विचार करने की कोशिश नहीं की, जैसा कि वास्तव में वह नहीं कर सके, और इसलिए इस पहलू को भी विचार से बाहर रखा जा सकता है।

यह हमें मुख्य प्रश्न की ओर ले जाता है जो उपरोक्त कथा से स्पष्ट होगा कि क्या जिन लोगों ने इस वैदा के लिए अग्रिम खरीदारी की थी, उन्होंने उपनियमों के तहत अपने दायित्वों को पूरा किया था। अब, पहला मामला जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि महावैदा के लिए निपटान मूल रूप से 02 फरवरी, 1953 को तय किया गया था। एसोसिएशन का उपनियम 32 बोर्ड को इन शर्तों के अनुसार निपटान के दिन तय करने का अधिकार देता है:

> "32. (1) निपटान दिवस बोर्ड या उसके द्वारा नियुक्त उप-समिति द्वारा प्रावधानों या इन नियमों और उप-कानूनों को ध्यान में रखते हुए तय किए जाएंगे।"

लेकिन एल. (3) वही उपविधि बोर्ड को सशक्त बनाती है:

> "यदि राय है कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जिनके लिए निर्धारित दिनों में बदलाव की आवश्यकता है [सीएल द्वारा। (1)] - बोर्ड ऐसे निपटान दिवस को 5 दिनों से अधिक की अवधि के लिए स्थगित कर सकता है।"

इस शक्ति का प्रयोग करते हुए वैदा दिवस को 02 फरवरी, 1953 से 03 फरवरी, 1953 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। दिनांक में इस परिवर्तन को प्रभावित करने या परिवर्तन की वैधता के लिए बोर्ड की क्षमता के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया गया था। इससे प्रभाव पड़ा.

उपनियम 120 वैदा के दिनों में निपटान के लिए एक क्लियरिंग हाउस की स्थापना का प्रावधान करता है। यह उपनियम पढ़ता है:

> "120. क्लियरिंग हाउस:- बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के तहत एक क्लियरिंग हाउस की स्थापना की जाएगी जो सदस्यों के बीच सोने, चांदी और संप्रभु के आगे के लेनदेन को निपटाने के लिए वितरण आदेशों के आदान-प्रदान के साथ-साथ भुगतान करने के लिए सदस्यों के एक साधारण एजेंट के रूप में कार्य करेगा। क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से अंतर की मात्रा।"

इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसने एसोसिएशन के परिसर में एक शाखा खोली थी, को क्लियरिंग हाउस के रूप में नियुक्त किया गया था। उपनियम 125 एसोसिएशन के निदेशक मंडल द्वारा एक क्लियरिंग हाउस समिति की नियुक्ति का प्रावधान करता है। उपनियम 127 क्लियरिंग हाउस समिति की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है और यह चलता है:

127. समाशोधन गृह समिति की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य :-

"(1) क्लियरिंग हाउस समिति क्लीयरिंग हाउस और प्रत्येक सदस्य से संबंधित कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले माल और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के अंतर के भुगतान और वितरण से संबंधित क्लीयरिंग शीट, डिलीवरी फॉर्म, "कप्लिस" (पर्चियों) के रूपों का निपटान करेगी। उक्त प्रपत्रों या समान आकार और समान लेखन वाले अन्य प्रपत्रों का उपयोग करना होगा। उक्त समिति समय-समय पर उक्त प्रपत्रों के लिए शुल्क तय करेगी।

(2) यह समाशोधन गृह के कार्य के संबंध में निर्देश जारी करेगा और प्रत्येक सदस्य उसी के अनुसार कार्य करेगा।

(3) यदि कोई सदस्य ऐसे किसी निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करता है या किसी फॉर्म या अन्य दस्तावेज़ को दाखिल करने में कोई त्रुटि या गलती करता है या इतना अस्पष्ट लिखता है कि उसे समझा नहीं जा सकता है या ऐसे किसी भी फॉर्म या दस्तावेज़ को जमा करने में देरी करता है। क्लियरिंग हाउस की बात करें तो ऐसे हर मामले में क्लियरिंग हाउस कमेटी किसी भी सदस्य पर 500 रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं लगा सकती है। इस उपधारा से संबंधित कार्य देखने के लिए उप-समिति नियुक्त की जा सकती है।

(4) यह दो सदस्यों के बीच बकाया लेन-देन (जो चुकता नहीं किया गया है) के संबंध में हवाला दरें तय करेगा और सभी सदस्य इन दरों पर ऐसे बकाया लेन-देन (जो चुकता नहीं किए गए हैं) के संबंध में हवाला दरें और उन दरों पर अंतर का विवरण तैयारी भी

करेंगे। डिलीवरी ऑर्डर भी इन्हीं दरों पर जारी किए जाएंगे। लेन-देन के संबंध में हवाला दरें निपटान की सुविधा के लिए दी गई हैं। यह किसी भी तरह से लेनदेन के संबंध में देनदारी को कम नहीं करता है।

(5) क्लियरिंग हाउस समिति किसी भी सदस्य को डिफॉल्टर घोषित कर सकती है और उस उद्देश्य के लिए, उसे ऐसे प्रस्तावों और आदेशों को पारित करने की शक्ति होगी जो वह उचित और आवश्यक समझे।

(6) यदि, किसी अग्रिम निपटान के संबंध में, क्लियरिंग हाउस को निपटान के लिए निर्धारित दिनों पर निपटान करना मुश्किल लगता है, तो क्लियरिंग हाउस समिति के पास अधिकतम 48 घंटे का परिवर्तन करने की शक्ति होगी। उस अग्रिम निपटान से संबंधित सभी या किसी भी निपटान दिवस में।"

उपनियम 134(1) में लिखा है।

134. (1) "जो सदस्य अपने लेन-देन का निपटारा क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से कराना चाहता है, उसे क्लीयरिंग हाउस को निपटान फॉर्म (फॉर्म नंबर 1) में एक क्लीयरिंग शीट भेजनी होगी। उस उद्देश्य के लिए निर्धारित दिन (उस दिन को उसके बाद) क्लीयरेंस दिवस के रूप में जाना जाएगा।"

उपनियम 137 डिलीवरी देने वाले एसोसिएशन के सदस्यों के दायित्वों को निर्दिष्ट करता है और इसमें लिखा है:

"137. जिस सदस्य को डिलीवरी देनी है, उसे क्लीयरिंग हाउस में उसके द्वारा हस्ताक्षरित उतने डिलीवरी ऑर्डर जमा करने होंगे,

जितने प्रत्येक डिलीवरी ऑर्डर के आधार पर या तो चांदी की पांच छड़ों के लिए या 1,000 तोले सोने या 1,000 संप्रभु के लिए। यदि किसी सदस्य ने हस्ताक्षर किए बिना डिलीवरी ऑर्डर भेजा है तो उसे क्लियरिंग हाउस द्वारा डिलीवरी ऑर्डर देने के लिए निर्धारित तिथि पर सुबह 10 बजे क्लियरिंग हाउस में उपस्थित होना होगा और डिलीवरी ऑर्डर पर हस्ताक्षर करना होगा। यदि क्लियरिंग हाउस को यह आवश्यक लगता है तो वह किसी भी सदस्य से आगे डिलीवरी ऑर्डर मांग सकता है, और सदस्य को इसे तुरंत प्रस्तुत करना होगा, लेकिन यदि सामान किसी बैंक के पास है तो उसे ऊपर बताए अनुसार सीधे बैंक को डिलीवरी ऑर्डर देना होगा। ।"

उपनियम 137-ए(1) एक सदस्य के दायित्वों से संबंधित है जिसकी क्लीयरेंस शीट बकाया बिक्री दर्शाती है और इसमें लिखा है:

"137-ए(1) एक सदस्य जिसकी क्लीयरेंस शीट बकाया बिक्री दिखाती है, वह अपने डिलीवरी ऑर्डर के साथ क्लियरिंग हाउस को अपने पास या बॉम्बे में अपने बैंकर के कब्जे में उनकी संख्या और निशान के साथ बार (सोना या चांदी) की पूरी सूची जमा करेगा।, ऐसे डिलीवरी ऑर्डर के विरुद्ध डिलीवर किया जाना।"

जैसा कि पहले कहा गया है, अब यह सामान्य आधार है कि अपीलकर्ता ने इस उप-कानून के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया। उपनियम 137-बी जिसका उचित निर्माण इस अपील द्वारा उठाया गया है, उन सदस्यों के दायित्वों से संबंधित है जिनकी क्लीयरेंस शीट बकाया खरीद दिखाती है। यह पढ़ता है :

"137-बी। एक सदस्य जिसकी क्लीयरेंस शीट में बकाया खरीदारी दिखाई गई है, वह अपनी क्लीयरेंस शीट के साथ क्लीयरिंग हाउस को "भुगतान के लिए अच्छा" प्रमाणित चेक या बैंक या बैंक की पेस्लिप पर एक डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान के लिए पर्याप्त राशि के लिए नकद जमा करेगा। एसोसिएशन द्वारा निर्धारित दर पर उसकी सभी बकाया खरीदों के लिए। उपरोक्तानुसार भुगतान न करने पर क्लीयरेंस शीट या उसके एक हिस्से में बकाया खरीद को उसी दिन क्रेता के जोखिम पर नीलाम कर दिया जाएगा।"

इस प्रकार प्राप्त चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि क्लियरिंग हाउस द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड, बुलियन हॉल सबब्रांच में क्लियरिंग हाउस खाते में भुगतान किया जाएगा, और उन विक्रेताओं के पक्ष में उक्त बैंक के धारक को देय क्रॉस चेक या भुगतान पर्ची दी जाएगी, जिनके डिलीवरी ऑर्डर क्लियरिंग हाउस द्वारा दिए गए हैं। क्रेताओं को क्लीयरिंग हाउस द्वारा उक्त क्रेताओं को सौंप दिया जाएगा। विक्रेता उक्त क्रेताओं को उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए ऐसे चेक या पेस्लिप के विरुद्ध डिलीवरी ऑर्डर द्वारा कवर किए गए सामान की डिलीवरी देंगे। किसी विक्रेता द्वारा डिलीवरी देने के लिए निर्धारित समय के दौरान ऐसे चेक या पेस्लिप के विरुद्ध क्रेता को उसके डिलीवरी ऑर्डर में शामिल माल की डिलीवरी देने से इनकार करना, डिलीवरी देने में विफलता माना जाएगा और उप-कानून 147 के तहत परिणाम होंगे।

इस बात का विरोध नहीं किया गया है कि जिन लेन-देन के द्वारा हम वर्तमान में संदर्भित करेंगे, जिन सदस्यों की क्लीयरेंस शीट में बकाया खरीद दिखाई गई है, उन्होंने उप-कानून 137-बी के तहत अपने दायित्वों को पूरा किया है, तो एसोसिएशन जोखिम और लागत पर खरीद को प्रभावित करने का हकदार था। अपीलकर्ता को

आगामी उपनियमों के तहत, जो एसोसिएशन को डिफ़ॉल्ट सदस्यों के लेनदेन को समाप्त करने के लिए खरीद या बिक्री को प्रभावित करने की शक्ति प्रदान करता है।

उप-कानून 137-बी के विश्लेषण से पता चलता है कि एक सदस्य जिसकी क्लीयरेंस शीट में बकाया खरीदारी दिखाई गई थी, उसे वैदा दिवस पर, अपनी क्लीयरेंस शीट दाखिल करनी थी और सभी के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि का क्लियरिंग हाउस में भुगतान करना था। एसोसिएशन द्वारा निर्धारित दर पर उनकी बकाया खरीदारी। यह भुगतान क्लीयरेंस शीट के साथ किया जाना था और चार रूपों में से एक में होना था: (ए) भुगतान के लिए प्रमाणित चेक, या (बी) बैंक पर डिमांड ड्राफ्ट, या (सी) बैंक का भुगतान- इन-स्लिप, या (डी) नकद। इस अपील में उठाया गया सवाल इस बात से संबंधित है कि क्या कुछ खरीददारों ने क्लीयरिंग हाउस को उनके द्वारा देय राशि का भुगतान किसी भी अनुमत मोड में किया था। आगे बढ़ने से पहले हम यह जोड़ सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा, जो क्लियरिंग हाउस था, ने स्वीकार किया कि कई क्रेता-सदस्यों द्वारा भुगतान की जाने वाली आवश्यक राशि उसे 3 तारीख को प्राप्त हो गई थी और इन भुगतानों पूरी राशि एसोसिएशन में जमा कर दी गई थी।

उप-कानून 137-बी के तहत कुछ खरीदारों द्वारा अपनाए गए भुगतान के तरीके के संबंध में विवाद के मामलों को स्थापित करने से पहले, कुछ तथ्यों के आधार पर कहानी को आधार बनाना आवश्यक है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड को 1949 में उप-कानून 120 के तहत एसोसिएशन के क्लियरिंग हाउस के रूप में नियुक्त किया गया था और तब से वह उसी रूप में कार्य कर रहा है। सदस्यों द्वारा और उनके बीच भुगतान की सुविधा के लिए बैंक ने एसोसिएशन के परिसर में ही 'बुलियन हॉल उप-शाखा' नामक एक विशेष शाखा खोली थी। उपनियम 174(3) के अनुसार प्रत्येक सदस्य को बैंक में एक खाता खोलना आवश्यक है, ताकि क्लीयरेंस के

लिए भुगतान करना या चेक निकालना सुविधाजनक हो सके। इस उपविधि के अनुसरण में और इसका पालन करते हुए सभी सदस्यों ने ऐसे खाते खोले थे।

बैंक ने क्लियरिंग हाउस के रूप में अपना व्यवसाय करने के लिए विशेष पे-इन-स्लिप जारी की। ये पर्चियाँ ट्रिपल फ़ॉइल में थीं, जिन्हें भुगतान करने वाले सदस्य को भरना था। जब किसी सदस्य ने बैंक की बुलियन एक्सचेंज शाखा में भुगतान किया, तो तीन भागों का चरम अधिकार, जिसमें नामित सदस्य द्वारा एसोसिएशन के क्लियरिंग हाउस के क्रेडिट में भुगतान और राशि का विवरण भी निर्दिष्ट किया गया था। भुगतान कैशियर और लेजर कीपर द्वारा हस्ताक्षरित या आद्याक्षरित किया जाएगा और बैंक के पास रखा जाएगा। भुगतान-पर्ची जिसमें अन्य दो भाग शामिल थे, जिसमें समान प्रविष्टियाँ की गई थीं और बैंक अधिकारियों के हस्ताक्षर या आद्याक्षर थे, को भुगतान करने वाले सदस्य को सौंप दिया गया था। इसके बाद उसे इस पर्ची को वैलन या क्लियरेंस शीट के साथ क्लियरिंग हाउस में प्रस्तुत करना होगा, और उसके बाद क्लियरिंग हाउस विभाग सबसे बाईं ओर वाले हिस्से पर रसीद का समर्थन करेगा, जिसे सदस्य को वापस कर दिया जाएगा-दूसरे हिस्से को क्लीयरिंग हाउस द्वारा अपने पास रखा जाएगा।

03 फरवरी, 1963 को वैदा के लिए समझौता प्रकट होता है। उस निपटान के लिए बिक्री और खरीद की बहुत बड़ी मात्रा के कारण असाधारण रूप से भारी निपटान हुआ था और निश्चित रूप से, उसी संख्या की इसी संख्या की खरीद के साथ, चांदी की 1897 छड़ों की कुल बकाया बिक्री थी। 1,004 बार के विक्रेताओं ने उपनियम 137 और 137-ए के अनुसार डिलीवरी ऑर्डर दिए, लेकिन अपीलकर्ता जिसके पास 853 बार की बिक्री बकाया थी, क्लियरिंग हाउस को आवश्यक डिलीवरी ऑर्डर प्रस्तुत करने में विफल रहा। 1,897 बार के खरीददारों को, उपनियमों के तहत, अपनी क्लीयरेंस शीट जमा करनी थी और कुल राशि का उपनियम 137-बी द्वारा प्रदान किए गए तरीके से 03

फरवरी, 1953 तक 88,31,050 क्लियरिंग हाउस में भुगतान करना था।। पिछले दिन सदस्यों के क्लर्कों की हड़ताल के कारण उत्पन्न असाधारण स्थिति के कारण भारी भुगतान किए जाने से स्थिति के कारण 03 फरवरी को शाम 7 बजे तक सामान्य बैंकिंग घंटों के बाद क्लीयरेंस शीट के भुगतान और वितरण के लिए एसोसिएशन के निदेशकों ने समय बढ़ाने का एक प्रस्ताव पारित किया।।

अपील में विवाद का मुद्दा यह है कि क्या इस राशि का भुगतान 3 फरवरी को उप-कानून 137-बी द्वारा प्रदान किए गए तरीके से क्लियरिंग हाउस के खाते में किया गया था। रुपये में से 88,31,050, कुछ राशि नकद में भुगतान की गई, एसोसिएशन के क्लियरिंग हाउस खाते के पक्ष में बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड की बुलियन हॉल उप-शाखा के सदस्यों द्वारा अपने संबंधित खातों पर आहरित चेक द्वारा 42,99,400 रुपये। बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड के पक्ष में अन्य बैंकों की चार वेतन पर्चियों द्वारा 24,64,050 रु एसोसिएशन को भुगतान के लिए दो सदस्यों द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड की झावेरी बाजार शाखा में अपने खातों से 15,30,150 रुपये बुलियन हॉल उप-शाखा में स्थानांतरित किए गए। 4,65,000 रुपये का चेक एक सदस्य द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड की फोर्ट शाखा के अपने खाते से एसोसिएशन, क्लियरिंग हाउस अकाउंट के पक्ष में निकाला गया था। इनमें से, अपीलकर्ता की दलील यह थी कि केवल नकद भुगतान ही उचित था और बाकी उप-कानून 137-बी के अनुसार नहीं किया गया था। हालाँकि, इससे निपटने से पहले, यह कहा जा सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड क्लियरिंग हाउस ने 4 फरवरी, 1953 को एक बयान प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि कुल 88,31,050 रु क्लीयरिंग हाउस के रूप में प्राप्त हुए थे और एसोसिएशन को जमा कर दिए गए थे।

अब, सबसे पहले बुलियन हॉल उप-शाखा में सदस्यों द्वारा अपने खातों पर आहरित चेक द्वारा भुगतान की गई राशि को लेते हुए, विवाद के समर्थन में कई बिंदुओं

का आग्रह किया गया। पहला यह था: 03 फरवरी, 1953 को बैंकिंग समय दोपहर 2.30 बजे समाप्त हो गया और इस शाखा में बैंकिंग खाते पर आहरित चेक द्वारा क्लियरिंग हाउस खाते में कई भुगतान उस समय के बाद किए गए। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि भले ही कई सदस्यों के खातों में उनके द्वारा आहरित चेक को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन था, फिर भी उनके चेक को नकद नहीं माना जा सकता क्योंकि बैंकिंग समय बीत चुका था। इसका जवाब डिवीजन बेंच ने यह बताते हुए दिया कि उस दिन दोपहर 2.30 बजे के बाद क्लियरिंग हाउस के सदस्यों ने इस उद्देश्य के लिए बैंक के कामकाज में कुछ भी अवैध नहीं किया था। न्यायालय के समक्ष इस बात के साक्ष्य थे कि बैंक में बही-खाते और खाते की अन्य पुस्तकें यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध थीं कि क्या किसी सदस्य के खाते में निकाले गए चेक को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि थी। इस बात के भी सबूत थे कि बैंक द्वारा तीन प्रतियों वाले फॉर्म को स्वीकार करने से पहले सदस्य के खाते की स्थिति का पता लगाया गया था और क्लीयरिंग हाउस को सौंपने के लिए जमा करने वाले सदस्य को दो बाईं ओर की फ़ॉइल दी गई थी और, जैसा कि हमने पहले कहा था, अगले दिन बैंक ने कई चेकों की राशि की प्राप्ति की पुष्टि करते हुए एक बयान प्रस्तुत किया और उनकी राशि एसोसिएशन के क्रेडिट में दिखाई। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 3 फरवरी, 1953 को उप कानून 137-बी के अनुसार आवश्यक भुगतान किया गया था।

हम उस कथित अवैधता के संबंध में उच्च न्यायालय से पूरी तरह सहमत हैं, जो बैंक द्वारा सामान्य बैंकिंग समय समाप्त होने के बाद चेक स्वीकार करने के कारण हुई है। यह ध्यान दिया जाएगा कि उस दिन दोपहर 2.30 बजे से शाम 7 बजे तक बैंकिंग घंटों का विस्तार किसी भी क़ानून का उल्लंघन नहीं था और चाहे स्थिति कुछ भी रही हो, अगर इस तरह के विस्तार ने बैंक के किसी घटक के नुकसान के लिए

काम किया हो। मामला यह है कि यह वास्तव में ग्राहक के लाभ के लिए था। उन परिस्थितियों में, जब तक क्लीयरिंग हाउस के रूप में बैंक का काम जारी रहा, तब तक बैंकिंग व्यवसाय में कुछ भी अवैध नहीं था और निश्चित रूप से, कुछ भी अनुचित नहीं था।

इस तर्क के समर्थन में अन्य आपत्तियाँ भी उठाई गईं कि ये भुगतान उप-कानून 137-बी के विपरीत थे। इनकी सराहना के लिए कुछ और तथ्य बताना जरूरी होगा. निपटान के लिए देय राशि की संतुष्टि के लिए खरीदारों द्वारा क्लीयरिंग हाउस में किए गए भुगतानों का हमने जो विश्लेषण किया है, उससे रु. 42,99,400 रुपये बैंक की बुलियन हॉल उप-शाखा पर आहरित चेक के माध्यम से थे। हमने यह भी कहा है कि जिस बैंक के कर्मचारियों को चेक प्रस्तुत किए गए थे, उन्होंने पर्चियों पर यह पुष्टि की थी कि चेक को मंजूरी देने के लिए खाते में पर्याप्त धनराशि थी और इस प्रक्रिया के बाद पे-इन-स्लिप जारी की गई थी। उप-कानून के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए क्लीयरेंस शीट के साथ क्लियरिंग हाउस को प्रस्तुत किया गया था। एसोसिएशन के क्रेडिट में अंतरण प्रविष्टियों द्वारा इन भुगतानों के संबंध में यह आग्रह किया गया था

(1) कि लगभग 17 या उसके आसपास की संख्या वाले कई सदस्यों के पास, वास्तव में, उस दिन शाम 7 बजे से पहले अपने खातों में पर्याप्त धनराशि नहीं थी ताकि वे सक्षम हो सकें जो चेक उन्होंने क्लीयरिंग हाउस के पक्ष में दिए थे, उन्हें सम्मानित किया जाना था और इसके परिणामस्वरूप बैंक द्वारा चेक स्वीकार किए जाने के बावजूद, इस तरह के भुगतान को उप-कानून 137-बी के तहत नहीं माना जा सकता था।

यह सामान्य बात थी कि 3 फरवरी को दोपहर 2.30 बजे इनमें से कई सदस्यों के खाते में जमा राशि उन चेकों को सक्षम करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जो उन्होंने बाद में दिन में जारी किए थे। लेकिन वास्तव में चेक प्रस्तुत किए जाने से पहले क्रेता-सदस्यों ने अपने खातों में भुगतान कर दिया (ए) रिफंड जो उन्होंने मार्जिन मनी से प्राप्त किया था जो उन्होंने एसोसिएशन के साथ जमा किया था और जिसके लिए वे उप-कानूनों के तहत हकदार थे और (बी) अन्य चेक बैंक ऑफ बड़ौदा का पक्ष. सबसे पहले मार्जिन मनी रिफंड को लेते हुए, उपनियमों के तहत, खरीदारों को अपनी खरीद पर मार्जिन मनी का भुगतान करना पड़ता था और कुछ शर्तों को पूरा करने पर उन्हें मार्जिन मनी वापस करनी होती थी। 'खरीददारों द्वारा मार्जिन के रूप में मूल रूप से भुगतान की गई मेरी राशि एसोसिएशन को जमा कर दी गई थी और जब राशि वापस की जानी थी तो एसोसिएशन द्वारा 3 फरवरी को रिफंड की जाने वाली राशि के भुगतान आदेश दिए गए थे और इन रिफंड आदेशों का भुगतान किया गया था संबंधित क्रेताओं द्वारा उनके खातों में क्रेडिट किया गया और उनके खातों को बुलियन हॉल सबब्रांच में जमा किया गया। अपीलकर्ता का मामला यह नहीं था कि सदस्य एसोसिएशन द्वारा दिए गए रिफंड के हकदार नहीं थे, बल्कि आपत्ति इस बात पर थी कि रिफंड वास्तव में उस दिन देय नहीं था और एसोसिएशन द्वारा समय से पहले अनुचित तरीके से भुगतान किया गया था। जब यह देय था उपनियम 33-सी(2) मार्जिन मनी की वापसी से संबंधित है और इसमें लिखा है:

> "जहां जैसा भी मामला हो, खंड (ए) या (बी) में वर्णित शर्तें समाप्त हो जाती हैं, एसोसिएशन आवश्यक समायोजन करने के बाद अगले निकासी दिवस के अगले दिन संबंधित सदस्यों को मार्जिन राशि वापस कर देगा।"

इस पर अपीलकर्ता का मामला यह था कि मार्जिन मनी केवल 4 तारीख को वापस की जा सकती थी और एसोसिएशन ने 3 तारीख को ही खरीदारों को राशि वापस करने में अनुचित तरीके से काम किया ताकि वे उस पैसे का उपयोग अपने भुगतान करने के उद्देश्य से कर सकें। निपटान। हमें कोई उप नजर नहीं आता. इस शिकायत में रुख, न ही हमें इसकी कोई प्रासंगिकता दिखती है, जो अब विवाद में है, जैसे कि क्या उप-कानून 137-बी का अनुपालन हुआ था। जैसा कि पहले ही बताया गया है, वैदा मूल रूप से 2 के लिए तय की गई थी फरवरी का और यदि वह कायम रहता तो राशि 3 तारीख को वापस कर दी जाती। हालाँकि, सदस्यों के गुमाश्तों की हड़ताल के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि बैदा को एक दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। क्या श्री पुरषोत्तम के आग्रह के अनुसार, उपविधि 33-सी के उचित निर्माण पर कि जब एक वैद दिवस को स्थानांतरित किया जाता है तो मार्जिन मनी की वापसी के लिए निर्धारित दिन भी स्थानांतरित हो जाता है या क्या यह मूल रूप से उसी दिन देय होगा निश्चित, हमारी राय में, परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपविधि एसोसिएशन पर वायदे के अगले दिन मार्जिन मनी वापस करने की बाध्यता लगाती है। हालाँकि, इसकी शर्तों पर, यदि सीएलएस की शर्तें। (ए) और (बी) अस्तित्व में नहीं हैं, और जाहिर तौर पर वे वर्तमान मामले में भी 2 तारीख को अस्तित्व में नहीं हैं, उप-कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एसोसिएशन को मार्जिन मनी वापस करने से रोकता हो। फिर, भले ही इस तरह के रिफंड को कानूनी रूप से लागू करने से पहले मार्जिन मनी वापस कर दी गई हो, रिफंड की औचित्य या अनौचित्य का इस सवाल से संबंधित विचार के लिए एकमात्र बिंदु पर कोई असर नहीं होगा कि क्या उप-कानून 137-बी का अनुपालन किया गया था या नहीं। अर्थात्, क्या चेक प्रस्तुत किए जाने के समय सदस्यों के खातों में पैसा जमा था।

(2) इस शीर्ष के तहत आपत्ति की अगली श्रेणी बैंक द्वारा सदस्यों में से एक को रुपये की चेक की राशि क्रेडिट करने के संबंध में थी। 2,00,000/- रु जो बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन से निकाला गया था। अब, मामले में सबूत यह था कि खिमजी पूंजा एंड कंपनी को एक क्रेता के रूप में 4,65,000/- रु का भुगतान करना पड़ा। 03 तारीख को दोपहर 02:30 बजे उनके पास 1,93,215/13/5 रूपयों का क्रेडिट बैलेंस था। ताकि वह 4,65,000/- रुपये का चेक पूरा कर सके। जो उसने बुलियन हॉल उप-शाखा से निकाला था, उसने अपने खाते में 1,05,500/- रु मार्जिन मनी के रिफंड के रूप में का भुगतान किया। बैंक ऑफ बड़ौदा के पक्ष में बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन में उनके खाते पर 2,00,000/- का भुगतान किया गया और इस चेक का भुगतान बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रधान कार्यालय में उनके खाते में जमा किया गया। प्रधान कार्यालय ने इस क्रेडिट की सूचना बुलियन एक्सचेंज शाखा को दी और जब उसने रुपये का चेक प्रस्तुत किया। बुलियन एक्सचेंज शाखा को 4,65,000/- का सम्मान दिया गया और यह राशि एसोसिएशन को जमा की गई। विद्वान न्यायाधीशों ने इस साक्ष्य और स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया और माना कि इस घटक के पास 4,65,000/- रुपये जो उसने निकाले के चेक को पूरा करने के लिए बैंक के पास पर्याप्त धनराशि थी। श्री पुरूषोत्तम ने इस साक्ष्य की विश्वसनीयता को चुनौती दी। हालाँकि, हम इसमें इस कारण से जाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं कि यदि, वास्तव में, एक बैंकिंग संस्थान के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा ने खिमजी पूंजा एंड कंपनी को 2 लाख रुपये का क्रेडिट दिया था मामला उन दो पक्षों के बीच का मामला था और यह ऐसा मामला नहीं है जो 4,65,000/- रुपये जो खिमजी ने बनाया के भुगतान की वैधता पर निर्भर करता है। यह विवादित नहीं है, या यूं कहें कि इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि बैंक के प्रधान कार्यालय ने खिमजी पूंजा एंड कंपनी को 2,00,000/- रुपये की राशि जमा की और प्रधान कार्यालय द्वारा इस क्रेडिट की सूचना के सबूत हैं। बेशक,

खिमजी द्वारा चार्टर्ड बैंक का चेक "भुगतान के लिए अच्छा" प्रमाणित नहीं था, लेकिन वह उप-कानून 137-बी के तहत भुगतान नहीं था। प्रधान कार्यालय ने इसे स्वीकार कर लिया और इसलिए उनके द्वारा उस चेक को प्रमाणित करने पर जोर न देने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तथ्य यह है कि प्रधान कार्यालय ने वह चेक स्वीकार कर लिया; हम इसे साफ़ होने की प्रत्याशा में लेंगे, और वास्तव में यह अगले दिन समाशोधित हो गया था। बैंक के प्रधान कार्यालय के औचित्य के साथ, वास्तविक वसूली से पहले उस चेक की राशि को न तो बुलियन एक्सचेंज शाखा ने और न ही एसोसिएशन ने, जिसके खाते में 4,65,000/- रुपये की राशि जमा की है। उनके पक्ष में आहरित चेक द्वारा दर्शाया गया था, न ही अपीलकर्ता को कोई चिंता है। जब एक बार बैंक ने उस राशि को खाते में जमा किया तो 4,65,000/- रुपये के चेक को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट था। यही एकमात्र बिंदु है जिससे हम चिंतित हैं।

(3) आपत्ति का तीसरा प्रमुख जो उठाया गया था, और यह वह था जो उच्च न्यायालय में और हमारे सामने कड़ी प्रतिस्पर्धा का विषय था, क्या बुलियन एक्सचेंज उप-शाखा पर चेक जो क्लीयरेंस के साथ भुगतान किए गए थे उपनियम 137-बी के अंतर्गत शीटों को "भुगतान के लिए उपयुक्त प्रमाणित" किया गया था। यह आग्रह किया गया था कि भुगतान के केवल चार तरीकों को मान्यता दी गई थी और एक ही बैंक में ग्राहक के खाते पर भी एक चेक अभी भी एक चेक था और जब तक 'यह भुगतान के लिए अच्छा प्रमाणित नहीं किया गया था, यह अलविदा के भीतर वैध भुगतान की आवश्यकता को पूरा नहीं करता था। -कानून 137-बी. इस संबंध में इस बात पर जोर दिया गया कि उप-कानूनों की शर्तों पर भुगतान या गैर-भुगतान से उत्पन्न होने वाले परिणामों को ध्यान में रखते हुए उप-कानून की सख्त और शाब्दिक संरचना की मांग की गई थी और न्यायालयों को उप-कानून का अर्थ इस प्रकार लगाना चाहिए। -कानून और मानना है कि क्लियरिंग हाउस द्वारा भुगतान प्राप्त करने के अर्थ में इसका शाब्दिक

और न केवल पर्याप्त अनुपालन नियम को संतुष्ट करेगा। इस दलील के संबंध में कि बैंक की उसी शाखा में ग्राहक के खाते से आहरित चेक "भुगतान के लिए उपयुक्त प्रमाणित चेक" नहीं हो सकते, भले ही चेक को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि थी, विद्वान वकील ने इस तथ्य पर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि प्रमाणीकरण एक का चेक वाणिज्यिक प्रक्रिया का एक प्रसिद्ध रूप था जिसे बैंकर्स क्लीयरेंस के उद्देश्य से अपनाते थे जिसके द्वारा प्रमाणित करने वाला और क्लियरिंग बैंक एक दूसरे के लिए बाध्य हो जाते थे। इस संबंध में, गैडेन बनाम द न्यूफाउंडलैंड सेविंग्स बैंक[1] में प्रिवी काउंसिल की टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था, जहां यह कहा गया है:

> "प्रमाणीकरण का एकमात्र प्रभाव चेक को अतिरिक्त मुद्रा देना है, यह दिखाकर कि यह अपने भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि पर अच्छे विश्वास में तैयार किया गया है, और जिस बैंक पर यह है, उसके जारीकर्ता के क्रेडिट में जोड़कर अनिर्णित है।"

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम पंजाब नेशनल बैंक[2] में लॉर्ड राइट के फैसले का भी संदर्भ दिया गया था, जहां भारत में चेक के प्रमाणीकरण या अंकन के इतिहास से निपटा गया है। हालाँकि, अब विवाद में पड़े इन निर्णयों से हमें कोई सहायता नहीं मिलती है। प्रमाणीकरण के संबंध में इस आपत्ति के बारे में ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि प्रमाणीकरण का कोई सवाल ही नहीं है, जहां किसी बैंक की शाखा में किसी खाते पर आहरित चेक का भुगतान उसी शाखा में किसी अन्य पार्टी के खाते में किया जाता है, जिसका खाता है। वह शाखा प्रमाणीकरण एक ऐसी विधि है जिसे तब अपनाया जाता है जब जिस बैंक पर चेक काटा जाता है, वह ग्राहक के उस खाते का सत्यापन करता है जिस पर वह लिखा गया है और चेक पर इंगित करता है कि उस चेक को पूरा करने के लिए उसके खाते में पर्याप्त धनराशि है। यह स्पष्ट है कि किसी शाखा में किसी खाते पर आहरित चेक के बैंक द्वारा प्रमाणीकरण का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है,

जब चेक जारीकर्ता उसी शाखा में एक अलग खाते के क्रेडिट में भुगतान करता है। प्रमाणीकरण से पहले चेक को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से घटक के खाते का सत्यापन उसी समय होता है जब चेक क्लियर हो जाता है। इसलिए दो बैंकों का कोई सवाल ही नहीं है - एक प्रमाणित बैंक जिस पर चेक काटा जाता है और एक समाशोधन बैंक जिसमें उस चेक का भुगतान किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि भुगतान के बारे में उचित दृष्टिकोण यह होगा कि यह वास्तव में नकद में भुगतान है। प्रिवी काउंसिल ने आर्सेन ए. लैरोक बनाम हयासिन द ब्यूचमिन (1) में इस बात पर विचार किया था कि क्या किसी कंपनी द्वारा बेची गई संपत्ति के खरीद मूल्य के आधार पर प्राप्तियों द्वारा किया गया भुगतान नकद में किया गया भुगतान था। इस प्रश्न से निपटने में लॉर्ड मैकनाघटन ने स्पार्गो(2) मामले में जेम्स एलजे के फैसले से निम्नलिखित को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया:

> "यह लॉर्ड चांसलर द्वारा कहा गया था, और हम उनसे पूरी तरह सहमत थे, कि उस धारा (कंपनी अधिनियम, 1867 की धारा 25) पर कोई निर्माण करना सही नहीं हो सकता है, जो इस तरह के बेतुके और असंबद्ध को जन्म देगा। इसका उचित परिणाम यह होगा कि चेक के बदले में नकद भुगतान नहीं होगा, या किसी बैंकर को किसी कंपनी के खाते से धन हस्तांतरित करने का आदेश नकद में भुगतान नहीं होगा।"

और मेलिश, एलजे के फैसले से एक और अंश

> "यह कानून का एक सामान्य नियम है कि प्रत्येक मामले में जहां लेनदेन ए द्वारा बी को पैसे का भुगतान करने और फिर बी द्वारा

इसे वापस ए को सौंपने का निर्णय लेता है, यदि पार्टियां एक साथ मिलती हैं और एक मांग को दूसरे के खिलाफ रखने पर सहमत होती हैं, उन्हें पैसे को आगे-पीछे करने के तरीके और समारोह से गुज़रने की ज़रूरत नहीं है।"

हम इन टिप्पणियों को उचित मानते हैं और मानते हैं कि जहां बुलियन एक्सचेंज उप-शाखा के खाते पर आहरित चेक द्वारा भुगतान किया गया था और उस चेक द्वारा दर्शाई गई राशि एसोसिएशन के क्लियरिंग हाउस खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी, यह वास्तव में एक नकद भुगतान है, यद्यपि चेक द्वारा भुगतान के रूप में है ।

अगला लेन-देन जिस पर आपत्ति की गई थी, वह बुलियन हॉल उप-शाखा में 4,65,000/- रुपये श्री बंसीलाल एंड संस द्वारा का भुगतान था। सबूत यह था कि चेक बैंक ऑफ बड़ौदा की बुलियन हॉल उप-शाखा में उनके खाते पर नहीं बल्कि फोर्ट, बॉम्बे में बैंक की शाखा में जारी किया गया था। न्यायालय ने जो साक्ष्य स्वीकार किया वह यह था कि चेक की प्रस्तुति पर कर्मचारियों ने यह सुनिश्चित किया कि चेक को मंजूरी देने के लिए घटक के पास बैंक में पर्याप्त धनराशि थी और इसे स्वीकार कर लिया गया और इसे बुलियन एक्सचेंज एसोसिएशन के खाते में जमा कर दिया गया। इस भुगतान की प्राप्ति पर उठाई गई आपत्ति भी चेक को भुगतान के लिए उपयुक्त प्रमाणित नहीं किए जाने पर आधारित थी। यह देखा जाएगा कि इस चेक और बुलियन हॉल शाखा के सदस्यों के खातों पर आहरित किए गए चेक के बीच अंतर का एकमात्र बिंदु यह है कि हमने अभी 4,65,000/- रुपये का चेक दिया है। बुलियन हॉल सबब्रांच में आहरणकर्ता के खाते से नहीं, बल्कि फोर्ट शाखा में उसी बैंक के खाते से निकाले गए थे। इस बिंदु पर विचार करने के लिए इस प्रश्न की किसी भी जांच में शामिल होना आवश्यक नहीं है कि एक ही बैंक की दो शाखाएं किस हद तक अलग-अलग संस्थाएं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई ग्राहक उस शाखा के अलावा जहां उसके पैसे जमा हैं और जिस खाते

के संबंध में चेक जारी किया गया है, चेक जारी करने का दावा नहीं कर सकता है। लेकिन वर्तमान मामले में यह विवाद का विषय नहीं है। यहां फोर्ट शाखा पर आहरित चेक का भुगतान एसोसिएशन के खाते में बुलियन हॉल उप-शाखा में किया जाता है। बैंक की बुलियन हॉल उप-शाखा उस चेक को स्वीकार करती है और यह सुनिश्चित करने के बाद एसोसिएशन को क्रेडिट करती है कि चेक जारी करने वाले के पास उस चेक को पूरा करने के लिए फोर्ट शाखा में पर्याप्त धनराशि है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या भुगतान को ऐसे चेक के रूप में माना जा सकता है जो भुगतान के लिए अच्छा प्रमाणित हो। हम मानते हैं कि उसी शाखा में किसी खाते पर आहरित चेक के संबंध में स्थिति के बारे में हमने जो पहले कहा है, वह वर्तमान मामले पर भी लागू होगा और उप-कानून में संदर्भित बैंकर का प्रमाण पत्र एक है जिस बैंक में चेक का भुगतान किया जा रहा है उससे भिन्न बैंक का प्रमाणपत्र। भले ही इस मामले में कोई संदेह हो, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि जब एक बार बुलियन हॉल उप-शाखा के कर्मचारियों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि चेक जिस खाते पर आहरित किया गया है, उसमें ग्राहक के खाते में पर्याप्त धनराशि जमा है, तो यह संतुष्ट है। उप-कानून 137-बी के अंतर्गत भुगतान के लिए उपयुक्त प्रमाणित चेक की आवश्यकताएं। इसलिए, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने सही ही माना कि यह भुगतान उक्त उप-कानून द्वारा अनुमत भुगतानों से बाहर नहीं था।

आखिरी मामला जेठालाल सांगजी शाह द्वारा 1.16,250/- रुपये के चेक के भुगतान से संबंधित चेक था बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में किए गए भुगतान को भुगतान के लिए उपयुक्त प्रमाणित नहीं किया गया और इसका भुगतान बुलियन हॉल उप-शाखा में कर दिया गया। क्लियरिंग हाउस ने यह चेक जेठालाल सनागी शाह से यह घोषणा प्राप्त करने के बाद प्राप्त किया कि उस चेक को पूरा करने के लिए उनके बैंक ऑफ इंडिया के खाते में पर्याप्त क्रेडिट था। यह कहा गया था कि एसोसिएशन के

निदेशकों से बैंक द्वारा संपर्क किया गया था कि क्या यह चेक भुगतान में प्राप्त किया जा सकता है और यह उनकी सलाह पर था कि सदस्य से निर्दिष्ट फॉर्म में एक घोषणा ली गई थी और उसके बाद ही उपविधि 137-बी के अनुरूप भुगतान स्वीकार किया गया। श्री पुरषोत्तम ने कहा कि यह भुगतान निश्चित रूप से उपविधि 137-बी के अंतर्गत नहीं हो सकता। और हम मानते हैं कि विद्वान वकील सही है। हालांकि, इससे उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है क्योंकि यह 25 बार की कीमत से संबंधित है और, चांदी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, जिसके बारे में हम चिंतित है, श्री पुरूषोत्तम यह स्वीकार नहीं कर सकते है कि भले ही इस घटक द्वारा भुगतान अनियमित हो। अपीलकर्ता के जोखिम पर खरीद की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंतिम भुगतान को छोड़कर, जो बिल्कुल नियमित नहीं था लेकिन जिसकी अनियमितता महत्वपूर्ण नहीं थी, अन्य सभी भुगतान काफी हद तक, यदि शाब्दिक रूप से नहीं, तो उप-कानून 137-बी की आवश्यकताओं के अनुसार थे और परिणामस्वरूप खरीद अपीलकर्ता के जोखिम पर निदेशकों द्वारा किया गया मामला उपनियमों के तहत कानूनी और उचित था।

निष्कर्ष निकालने से पहले इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है कि विद्वान ट्रायल न्यायाधीश के साथ-साथ डिवीजन बेंच के समक्ष भी एसोसिएशन के लगभग 17 सदस्यों द्वारा किए गए कई भुगतानों का एक विस्तृत विश्लेषण किया गया था ताकि यह स्थापित किया जा सके कि वे भुगतान भले ही वे 3 तारीख को बने हों उपविधि 137-बी के अनुसार थे । विद्वान न्यायाधीशों ने इन भुगतानों की वैधता पर तैयार की गई कई आपत्तियों पर विचार किया और न्यायालय के समक्ष रखे गए व्यक्तिगत मामलों के कुछ विवरणों पर चर्चा करने के बाद, अपना निष्कर्ष दर्ज किया कि भुगतान प्रासंगिक उप-कानून की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमें संबोधित तर्कों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रत्येक आपत्ति की विस्तार से जांच नहीं की है, बल्कि केवल उन आपत्तियों पर

विचार किया है जिनके बारे में विशेष रूप से हमारे सामने आग्रह किया गया था और जिन सिद्धांतों पर ये आपत्तियां आधारित थीं, उनकी सामान्य रूप से व्यवहार्यता पर चर्चा की गई है।

तदनुसार अपील विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज की जाती है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अलका जोशी आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।